झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/PMC/कोर्ट केस/22/2024 883 /राँची, दिनांक– 14.10.2024

संकल्प

विषयः– तत्कालीन बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–517, दिनांक–09.05.2000 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन करने के संबंध में।

1. झारखण्ड सिचांई अधिनियम 1997 की धारा–3 के अनुसार राज्यान्तर्गत सभी नदी, प्राकृतिक जलधारा, प्राकृतिक जल निकास सरणी (चैनल), प्राकृतिक झील एवं अन्य जल निकाय (Water Body) के जल पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 एवं संविधान की सातवीं अनुसूची के List-II के Entry-17 के अनुसार जल अर्थात जलापूर्ति, सिंचाई एवं नहर, जल निकास एवं तटबंध, जल भंडारण एवं जल शक्ति पर, परन्तुक List-I के Entry-56 को छोड़कर सभी अधिकार राज्य सरकार में निहित है।

2. झारखण्ड उदवह् सिंचाई अधिनियम 1956 तथा झारखण्ड सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा 62 एवं 63 के तहत् बिहार/झारखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर निम्न जलदर अधिसूचित की गयी हैं–

दिनांक– 01.04.2011 के पूर्व	बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या– 3/पी०एम०सी०/एस०एम०पी०/144/(पार्ट–11)–517, दिनांक–09.05.2000
दिनांक–01.04.2011 से दिनांक–31.03.2023 तक की अवधि	अधिसूचना संख्या–2/पी०एम०सी०/जलापूर्ति–175/2007–272, दिनांक–01.04.2011
दिनांक– 01.04.2023 से	अधिसूचना संख्या–2/पी०एम०सी०/जलापूर्ति–175/2007–30, दिनांक–17.01.2023

3. 01 अप्रैल 1998 के प्रभाव से रू० 4.50 (चार रूपये पचास पैसे) प्रति हजार गैलन का दर निर्धारित था, जो जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–517, दिनांक–09.05.2000 द्वारा निर्गत किया गया था, जो झारखण्ड राज्य गठन के लगभग 12 वर्षों तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू रखा गया था। यह दर सभी म्यूनिसिपल कारपोरेशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं औद्योगिक इकाईयों के लिए (समान दर) लागू था।

4. सरकार द्वारा अधिसूचित जलदर एवं उसके सापेक्ष में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत जलदर विपत्र के विरुद्ध विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में याचिका दायर किया गया था।

5. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा WP(C) 1581 of 2010, W.P.(C) No.3427 of 2011, W.P.(C) No.4544 of 2011, W.P.(C) No.733 of 2012, W.P.(C) No.1193 of 2012, W.P.(C) No.7439 of 2012, W.P.(C) No.2330 of 2017, W.P.(C) No.1581 of 2010 and W.P.(C) No.1915 of 2005 को एक साथ टैग कर मामलों की सुनवाई की गई।

6. पारित न्यायादेश का कार्यकारी भाग निम्न है–

"Challenge to the Notification No.2/PMC/Jalapurti-175/2007-272 & 275 dated 01.04.2011 and bills raised on its basis in W.P.(C) No.3427 of 2011, W.P.(C) No.4544 of 2011, W.P.(C) No.733 of 2012, W.P.(C) No.1193 of 2012, W.P.(C) No.7439 of 2012 and W.P.(C) No.2330 of 2017 fails and are accordingly, dismissed.

The demand raised in W.P.(C) No.1581 of 2010 and W.P.(C) No.1915 of 2005 are hereby, set aside, the respondent authority will quantify the differential rate for water cess as per purpose for which the water is being supplied, and by separately quantifying the demand, it be raised against the petitioner-Company. Interlocutory Application, if any, is disposed of."

7. पारित न्यायादेश की कंडिका–73 निम्न है–

"From the above table, it is evident that as per the new notification differential rates have been applied. But, for the arrear demands raised the State is required to quantify the arrears as per the differential rate. In all these writ petitions except W.P.C. No.1581 of 2010 and W.P.(C) 1915 of 2005 no arrear has been raised for the period before the impugned notification in which differential rates have been applied. In these two writ petitions the demand is not sustainable as arrears for the period before 01.04.2011 has been raised without applying differential rates. Therefore, such demands raised in these two writ petitions are quashed, with the direction to the State Government to quantify their demand at a differential rate as per the nature of consumption"

8. WP(C) 1581 of 2010 (M/S Hindustan Copper Limited) एवं WP(C) 1915 of 2005 (M/S Tata Steel Limited) मामले में दिनांक– 01.04.2011 के पूर्व बकाया जलदर के विपत्रों को रद्द करते हुए विभाग को 'Differentiated Rate' पर जलदर विपत्र जारी करने का आदेश दिया गया है।

9. यद्यपि *C.W.J.C. No.3819 of 1993(R)* में पारित न्यायादेश की कंडिका–6 का निम्न अंश भी अवलोकनीय है–

"There is no dispute that Tisco has also undertaken the municipal obligations in respect of its township at Tisco has also undertake the responsibility of the State.

But we think that there must be a differentiation between the water used for industrial purposes and the water consumed otherwise by way of supply to the colonies, township and so on. This differentiation has been ignored while issuing the bill.

We do not find anything irrational or arbitrary in the rate of Rs. 3/= per thousand gallons adopted by the State. But that rate can be justified only for the water used by Tisco for industrial purposes. Water used for purposes other than industrial purposes has to be charged at a lesser rate as indicated above."

10. दिनांक–01.04.1998 से म्यूनिसिपल एवं औद्योगिक जलापूर्ति हेतु 4.50 रूपया प्रति हजार गैलन का दर निर्धारित किया गया था। संभवतः तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औद्योगिक जल उपयोग का जलदर म्युनिसिपल जल उपयोग के समान ही रखा गया होगा, जो काफी कम (लगभग 1 रुपया प्रति हजार लीटर) था।
11. वर्णित परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन किया जाय, अथवा अपील दायर किया जाय। उक्त बिन्दु पर विधिक परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग को भेजी गयी थी।
12. विधि विभाग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से तत्कालीन बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–517, दिनांक–09.05.2000 में संशोधन कर औद्योगिक इकाइयों के औद्योगिक उपयोग एवं म्युनिसिपल उपयोग के लिए अलग–अलग जलदर का निर्धारण करने का परामर्श प्राप्त हुआ है।
13. विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के क्रम में दिनांक–01.04.1998 से लागू तत्कालीन बिहार सरकार की जलदर अधिसूचना संख्या–517, दिनांक–09.05.2000 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन करते हुए औद्योगिक इकाइयों के औद्योगिक उपयोग एवं म्युनिसिपल उपयोग के लिए अलग–अलग जलदर का निर्धारण निम्नरूपेण किया जाता है–

औद्योगिक उपयोग के लिए जलदर	म्युनिसिपल उपयोग के लिए जलदर
4.50 रूपया प्रति हजार गैलन	4.00 रूपया प्रति हजार गैलन

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

14/10/24

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

पत्रांक :– 1/PMC/कोर्ट केस/22/2024.....883..... /राँची, दिनांक–14.10.2024

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

14.10.24

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

पत्रांक :– 1/PMC/कोर्ट केस/22/2024.....883..... /राँची, दिनांक–14.10.2024

प्रतिलिपिः– प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/10/24

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

पत्रांक :– 1/PMC/कोर्ट केस/22/2024.....883..... /राँची, दिनांक–14.10.2024

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विभागीय (मुख्य) मंत्री जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/10/24

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

पत्रांक :– 1/PMC/कोर्ट केस/22/2024.....883..... /राँची, दिनांक–14.10.2024

प्रतिलिपिः– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/10/24

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

पत्रांक :– 1/PMC/कोर्ट केस/22/2024.....883..... /राँची, दिनांक–14.10.2024

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–I एवं II/सभी विभागीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (लघु सिंचाई/यांत्रिक सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/10/24

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

पत्रांक :– 1/PMC/कोर्ट केस/22/2024.....883..... /राँची, दिनांक–14.10.2024

प्रतिलिपिः– उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग को e-Gazette में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

14/10/24

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।